झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० - 2860/2012

प्यारी मोहन चटर्जी @ पेयारी मोहन चटर्जी ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. श्रीमती कविता चटर्जी ..... **विपक्ष**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : सुश्री नेहला शर्मिन, विशेष पी.पी.
विपक्षी संख्या 2 के लिए : श्री पी.के. मुखोपाध्याय, अधिवक्ता

14/02.01.2024 को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रमोद कुमार, राज्य के विद्वान वकील सुश्री नेहला शर्मिन और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील श्री पी.के. मुखोपाध्याय को सुना गया।

2. यह याचिका विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो की अदालत में लंबित शिकायत मामला संख्या 584/2006 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 04.02.2008 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

3. शिकायती मामला यह आरोप लगाते हुए दायर किया गया था कि शिकायतकर्ता-विपरीत पक्ष संख्या 2 और याचिकाकर्ता के बीच हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार 24.11.1997 को विवाह हुआ था। विवाह के बाद, शिकायतकर्ता अपने ससुराल चली गई और अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन जीने लगी और उक्त विवाह से 06.11.1999 को एक लड़की का जन्म हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त लड़की के जन्म के बाद, शिकायतकर्ता के पति, देवर और सास ने कथित तौर पर यह कहते हुए शिकायतकर्ता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि शिकायतकर्ता को बेटे को जन्म देना चाहिए था, लेकिन उसने बेटी को जन्म दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि

आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी, जिसे कथित तौर पर शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया और इनकार करने पर आरोपी व्यक्तियों ने उसे बाथरूम में बंद करके पीटा और कथित तौर पर शिकायतकर्ता को दो दिनों तक खाना भी नहीं दिया गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता के पिता जनवरी, 2000 में कभी-कभी शिकायतकर्ता से मिलने आए और किसी तरह शिकायतकर्ता को अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। यह भी आरोप लगाया गया कि उसके बाद आरोपी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता के पति और देवर हैं, उसके पैतृक घर गए और आगे पैसे की मांग की और कथित तौर पर इस बार मांग बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गई, जो कि उक्त राशि थी और याचिकाकर्ता द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये की राशि भी मांगी गई। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए वर्ष 2004 में कभी-कभी एक झूठा मामला दर्ज कराया। यह भी आरोप लगाया गया कि इस मुद्दे के संबंध में कई बैठकें (पंचायतें) आयोजित की गईं, लेकिन आरोपियों ने कथित तौर पर पंचों की बातों का सम्मान करने से इनकार कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बाद 03.11.2006 को आरोपी व्यक्ति शिकायतकर्ता के घर आए और कथित तौर पर कहने लगे कि अगर शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता ने उक्त 1.5 लाख रुपये देने से इनकार कर दिया, तो वह किसी और से शादी कर लेंगे। जब याचिकाकर्ता से शिकायतकर्ता के माता-पिता ने अनुरोध किया, तो आरोपियों ने शिकायतकर्ता के बाल पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता की सोने की चेन भी खींच ली और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

4. दिनांक 31.03.2022 के आदेश के तहत यह मामला पति-पत्नी के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए झालसा के सदस्य सचिव को भेजा गया था, हालांकि, विपक्षी संख्या 2 झालसा के सदस्य सचिव के समक्ष उपस्थित नहीं हुई । दिनांक 04.05.2023 को विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री स्वप्न माजी ने बताया कि किसी अनिवार्यता के कारण विपक्षी संख्या 2 झालसा के सदस्य सचिव के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और उन्होंने कहा कि कृपया इस मामले को मध्यस्थता के लिए पुनः झालसा को भेजा जाए क्योंकि उन्हें निर्देश मिला है कि विपक्षी संख्या 2 मध्यस्थता में उपस्थित होगी । इसके बाद, इस मामले को उस दिन पुनः मध्यस्थता के लिए झालसा के सदस्य सचिव के समक्ष भेजा

गया, जिसमें याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह विपक्षी संख्या 2 को एकमुश्त यात्रा व्यय के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान सदस्य सचिव, झालसा के समक्ष करें। दिनांक 10.07.2023 को आदेश में दर्ज किया गया है कि मध्यस्थता रिपोर्ट में यह आया है कि विपक्षी संख्या 2 पुनः सदस्य सचिव, झालसा के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है, यद्यपि निर्देश था तथा पूर्व आदेश द्वारा यात्रा व्यय का ध्यान रखा गया था तथा उक्त आदेश द्वारा पुनः मामला पार्टियों के बीच मध्यस्थता हेतु सदस्य सचिव, झालसा को भेजा गया था तथा उसके अनुसरण में विपक्षी संख्या 2 सदस्य सचिव, झालसा के समक्ष उपस्थित हुई तथा उपस्थिति के प्रथम दिन याचिकाकर्ता ने न्यायालय के पूर्व निर्देश के अनुसार विपक्षी संख्या 2 को यात्रा व्यय के रूप में 10,000/- रूपये का भुगतान किया। मध्यस्थता रिपोर्ट में, यह बताया गया है कि दोनों पक्ष मामले को निपटाने के लिए सहमत हैं और यह भी सहमति हुई कि याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 को उसके भरण-पोषण के साथ-साथ लड़की के भरण-पोषण के लिए तीन किस्तों में 4,50,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह भी सहमति हुई कि याचिकाकर्ता द्वारा 1,50,000/- रुपये की पहली किस्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जाएगी और आगे की किस्त इस सी.आर.एम.पी को लेने के समय न्यायालय के समक्ष भुगतान की जाएगी और दोनों पक्षों द्वारा उचित आई.ए. दायर किया जाएगा। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,50,000/- रुपये की राशि पहले ही भुगतान की जा चुकी है, जिसे दिनांक 11.09.2023 के आदेश में दर्ज किया गया है। आई.ए. दोनों पक्षों द्वारा आई.ए. संख्या 9444/2023 दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है और आई.ए. संख्या 9555/2023 दिनांक 11.09.2023 के आदेश को इस आधार पर संशोधित करने के लिए दायर किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 ने पहले ही संतोष कुमार प्रसाद नामक एक अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है। उक्त आई.ए. पर 22.11.2023 को विचार किया गया और उस दिन विपक्षी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री स्वप्न माजी ने आई.ए. का उत्तर दाखिल करने के लिए समय लिया। इसके अनुसरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा आई.ए. का उत्तर दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आई.ए. के उत्तर पर याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्युत्तर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा दायर किया गया आवेदन तैयार है, हालांकि, इसे रजिस्ट्री में दाखिल नहीं किया गया क्योंकि आज क्रिसमस की छुट्टियों के बाद न्यायालय का पहला दिन है।

5. याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त प्रत्युत्तर को रिकार्ड पर ले लिया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के बीच 24.11.1997 को विवाह संपन्न हुआ था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान शिकायत मामला 06.12.2006 को दायर किया गया था और उसके अनुसरण में वर्तमान सीआरएमपी वर्ष 2012 में दायर किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस सीआरएमपी के पैराग्राफ 10 में याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह अपनी पत्नी को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखने के लिए तैयार है, हालांकि, उसने याचिकाकर्ता के साथ रहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि समझौता के लिए आई.ए. संख्या 9444/2023 दायर किया गया है, जिसमें विपक्षी संख्या 2 के आधार कार्ड की प्रति संलग्न की गई है और उसके बाद आई.ए. 11.09.2023 के आदेश में संशोधन के लिए 2023 में अपील संख्या 9555 दायर की गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में विपक्षी संख्या 2 के आधार कार्ड की प्रति संलग्न की गई है, जिसमें उसे संतोष कुमार प्रसाद की पत्नी बताया गया है, जबकि इस सीआरएमपी संख्या 2860/2012 याचिकाकर्ता का नाम प्यारी मोहन चटर्जी उर्फ पेयारी मोहन चटर्जी है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा सही तस्वीर का खुलासा नहीं किया गया और उसने याचिकाकर्ता से 4,50,000/- रुपये की राशि लेने पर सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता के साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता, मध्यस्थ और यहां तक कि इस न्यायालय को भी धोखा देने के लिए विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने इस तथ्य को दबा दिया है कि तलाक के अभाव में उसने संतोष कुमार प्रसाद नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इन आधारों पर, उन्होंने कहा कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 का आचरण ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

7. उक्त तर्क का विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. मुखोपाध्याय द्वारा इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि केवल आधार कार्ड तैयार करने के लिए संतोष कुमार प्रसाद नामक व्यक्ति का नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा संतोष कुमार प्रसाद के साथ विवाह नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत याचिका में आरोप मौजूद हैं और इसके मद्देनजर, यह न्यायालय पूरी आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर

सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार नियम और शर्तें लागू हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता को उक्त शर्तों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की कार्रवाई का कारण वर्ष 2006 में उत्पन्न हुआ और इसके मद्देनजर, कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। इन आधारों पर, उन्होंने कहा कि कृपया इस याचिका को खारिज किया जाए।

8. राज्य की विद्वान वकील सुश्री नेहला शर्मिन ने प्रस्तुत किया कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा संलग्न आधार में विपक्षी पक्ष संख्या 2 के पति का नाम संतोष कुमार प्रसाद बताया गया है।

9. न्यायालय ने शिकायत मामले की विषय-वस्तु का अध्ययन किया है और पाया है कि यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के बीच विवाह 24.11.1997 को संपन्न हुआ था। न्यायालय ने आगे पाया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य और बहुपक्षीय आरोप हैं, हालांकि, दिनांक 04.02.2008 के आदेश में, विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत संज्ञान लेने की कृपा की है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 08.07.2013 को पारित आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पहले ही एक याचिका दायर की है और उस याचिका के लंबित रहने के दौरान, विपक्षी संख्या 2 द्वारा वर्तमान शिकायत मामला दायर किया गया है, जो यह सुझाव देता है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान शिकायत मामला दायर करना बाद में सोचा गया है।

10. इसके अलावा, विपक्षी संख्या 2 ने संतोष कुमार प्रसाद नामक व्यक्ति के साथ अपनी दूसरी शादी को विद्वान मध्यस्थ, वकील जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के समक्ष तथा इस न्यायालय के समक्ष छुपाया है। समझौता याचिका दायर करने के पश्चात, जिसमें विपक्षी संख्या 2 के आधार की प्रति संलग्न की गई है, याचिकाकर्ता को केवल इस तथ्य के बारे में पता चला तथा उसके पश्चात उसने आई.ए. संख्या 9555/2023 दायर किया है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 2 याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है तथा याचिकाकर्ता मध्यस्थ के समक्ष सद्भावपूर्वक उपस्थित हुआ है तथा 4,50,000/- रुपए की राशि का भुगतान

करने के लिए सहमत हुआ है तथा उसके अनुसरण में न्यायालय की कार्यवाही में 1,50,000/- रुपए की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जिसे दिनांक 11.09.2023 के आदेश में दर्ज किया गया है।

11. विपक्षी पक्ष संख्या 2 का आचरण याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील में ऊपर दर्ज किया गया है और विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की उक्त दलील को ध्वस्त करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है, सिवाय इस तथ्य के कि आधार कार्ड तैयार करने के लिए संतोष कुमार प्रसाद का नाम दिया गया था। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील की उक्त दलील इस तथ्य के मद्देनजर अदालत द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है कि कोई तलाक नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता अभी भी विपक्षी पक्ष संख्या 2 का पति है और उसे आधार में अपने पति के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने का कोई अवसर नहीं मिला है। उसे केवल याचिकाकर्ता का नाम बताने की आवश्यकता थी, जो विपक्षी पक्ष संख्या 2 का पति था, जो प्रथम दृष्टया सुझाव देता है कि उसने किसी भी तलाक के अभाव में दूसरी शादी कर ली है।

12. यदि आचरण ठीक नहीं है, तो कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रुचि अग्रवाल बनाम अमित कुमार अग्रवाल** के मामले में पारित निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, **जो (2005) 3 एससीसी 299** में रिपोर्ट किया गया है।

13. केवल इसलिए कि मध्यस्थता कुछ शर्तों के साथ हुई है, यह धारा 482 सीआरपीसी के तहत अदालत द्वारा याचिका में हस्तक्षेप न करने का आधार नहीं हो सकता है, जब अदालत के समक्ष दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही साबित हो जाती है। यह एक अनियंत्रित पत्नी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का मामला है।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए का पत्नियों द्वारा किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के समक्ष भी विषय वस्तु है और इस मामले के निपटारे के लिए यहां संदर्भित कुछ निर्णय पर्याप्त होंगे। **राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2018) 10 एससीसी 472** में रिपोर्ट किया गया, **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** में रिपोर्ट किया गया, **प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य, (2010) 7 एससीसी 667** में रिपोर्ट किया

गया और **के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य, (2018) 14 एससीसी 452** में रिपोर्ट किया गया मामलों में पारित निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।

15. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और विश्लेषण के मद्देनजर, न्यायालय ने पाया कि यह पत्नी द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। तदनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बोकारो के न्यायालय में लंबित शिकायत मामला संख्या 584/2006 के संबंध में दिनांक 04.02.2008 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

16. मध्यस्थता की शर्तों और नियमों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि उस बालिका के कल्याण के लिए भी थी, जो विपक्षी संख्या 2 के साथ रह रही है, न्यायालय 1,50,000/- रुपये की राशि वापस करने का निर्देश नहीं दे रहा है, जो याचिकाकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 2 को पहले ही सौंप दी गई है और इसके मद्देनजर, उस राशि का उपयोग विवाह से पैदा हुई बालिका के कल्याण के लिए किया जाएगा। विपक्षी संख्या 2 के यात्रा व्यय के लिए निर्धारित 10,000/- रुपये की राशि भी याचिकाकर्ता को वापस नहीं की जाएगी, हालांकि, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को विपक्षी संख्या 2 को आगे कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के बीच विवाह का संबंध है, याचिकाकर्ता कानून के तहत सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।

17. तदनुसार, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है तथा इसका निपटारा किया जाता है।

18. यदि कोई लंबित आई.ए. है, तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

19. इस न्यायालय द्वारा यदि कोई अंतरिम आदेश दिया गया था, तो उसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।